च्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपीडी/टीए/1161/2004/बांसवाडा

1 मनिया पुत्र कुरिया
2 जीवला पुत्र कुरिया (मृतक) जरिये वारिसान
2/1 बेलजी पुत्र जीवला
2/2 रंगजी पुत्र जीवला
2/3 नारिया पुत्र जीवला
2/4 पूंजी बेवा जीवला
3 हेरिया पुत्र कुरिया समस्त जाति भील निवासीगण भमरियापाडा बडाना तहसील घाटोल जिला बांसवाडा

अपीलार्थीगण

बनाम

1 श्रीमती जीवली तथाकथित पुत्री कचरू (फौत) जरिये वारिसान
2 श्रीमत कलुडी बेवा कचरू (फौत) जरिये वारिसान
2/1 हरिशचन्द्र पुत्र नाथू जाति मईडा (भील–मीणा) निवासी भंवरिया पाडा बडाना तहसील घाटोल
3 राजस्थान सरकार

प्रत्यर्थीगण

खण्ड पीठ
श्री मोडूदान देथा, सदस्य
श्री मनोज कुमार नाग, सदस्य

उपस्थितः श्री सतीश पारीक वकील अपीलार्थीगण
श्री विरेन्द्रसिंह पंवार वकील प्रत्यर्थी
श्री सुरेन्द्र कुमार वकील जीवतराम,
विजयपाल,हेमलता, गजू पुत्र/पुत्री हरिशचन्द्र
की ओर से।

निर्णय

दिनांकः.12.6.2018

यह द्वितीय अपील धारा 224 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (संक्षेप में अधिनियम) के अन्तर्गत भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, उदयपुर द्वारा प्रकरण संख्या 217/2003 में पारित निर्णय दिनांक 19.12.2003 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वादी प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 ने एक वाद उपखण्ड अधिकारी, बांसवाडा के न्यायालय में अधिनियम की धारा 88 व 53 के अन्तर्गत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादपत्र की मद संख्या1 में वर्णित विवादित आराजीयात कुल किता 23 कुल रकबा 48 बीघा 19 बिस्वा के बाबत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त आराजीयात कुरिया पुत्र अमरीया के खातेदारी की थी। कुरिया का स्वर्गवास लगभग 26 साल पहले हो गया। कुरिया के चार पुत्र कचरू जो कि वादी संख्या 1 पिता व वादी संख्या 2 का पति था, मनिया, जीवला एवं हेरिया थे। कचरू का देहान्त कुरिया के जीवनकाल में ही हो गया। कुरिया की मृत्यु बाद विवादित भूमि उनके तीन पुत्र प्रतिवादीगण अपीलार्थीगण के नाम दर्ज कर दी गई एवं बाद में आपसी बंटवारा कर प्रतिवादीगण ने नामान्तरकरण संख्या 334, 335, 336 से अपने अलग अलग नाम दर्ज कराली जबकि विवादित भूमि संयुक्त खातेदारी की है तथा इसमें वादीगण प्रत्यर्थीगण का 1/4 हिस्सा है। अतः वाद स्वीकार कर डिक्री किया जावे। प्रतिवादीगण ने जबाबदावा प्रस्तुत नहीं किया। विचारण न्यायालय में प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही कर निर्णय दिनांक 20.11.2000 से वादीगण का वाद स्वीकार कर प्राथमिक डिक्री कर दिया। इसके विरूद्ध प्रतिवादी अपीलार्थीगण ने भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, उदयपुर के न्यायालय में प्रथम अपील प्रस्तुत की। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने निर्णय दिनांक 19.12.2003 से अपील खारिज कर दी। इससे व्यथित होकर अपीलार्थीगण ने यह द्वितीय अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

3. दौराने कार्यवाही प्रत्यर्थी संख्या 1 जीवली एवं प्रत्यर्थी संख्या 2 कलुडी फौत हो जाने से हरिशचन्द्र पुत्र नाथू ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रत्यर्थी संख्या 1 एवं प्रत्यर्थी संख्या 2 कलुडी ने अलग अलग वसीयत हरिशचन्द्र पुत्र नाथू के पक्ष में कर दी एवं जीवली के अन्य वारिसान जीवतराम, विजयपाल, गजू, हेमलता ने प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वसीयत के आधार पर हरिशचन्द्र को इस प्रकरण में वसीयती वारिस पक्षकार प्रत्यर्थी बनाये जाने में उन्हें कोई आपति नहीं है। अतः न्यायहित में हरिशचन्द्र पुत्र नाथू का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है एवं उन्हें प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 की वसीयत के आधार पर वारिस मानकर प्रत्यर्थी के रूप में प्रतिस्थापित किया जाता है।

4. विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थीगण ने अपनी बहस में तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में प्रतिवादी अपीलार्थीगण को सुनवाई का अवसर नहीं मिला है। अपीलार्थी संख्या 1 का स्वास्थ्य खराब होने से उपचार हेतु वे अहमदाबाद चले गये एवं विचारण न्यायालय ने प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही कर एकतरफा साक्ष्य सबूत लेकर निर्णय कर दिया जो विधिक प्रावधानों के विपरीत है।

वादी संख्या 2 कलुडी इस गांव में नहं रहती है तथा वह दलहेंग के यहां ग्राम पडौली गोर्धन के नाते चली गई तथा जीवली कचरू की सन्तान नहीं है एवं दलहेंग की लडकी है। जीवली शादीशुद्धा होकर अपनी ससुराल रहती है। उक्त तथ्यों की जांच करने हेतु एवं सही निर्णय न्याय हेतु प्रकरण को प्रतिप्रेषित किया जाना चाहिये था। परन्तु ऐसा नहीं कर प्रथम अपीलीय न्यायालय ने अपील ही खारिज कर दी जो अनुचित है। पिछले 40 सालों से अपीलार्थीगण विवादित भूमि का बंटवारा कर काबिज चले आ रहे हैं। वादी प्रत्यर्थीगण का कोई हक व अधिकार नहीं है। कलुडी के नाते चले जाने से अर्थात पुर्नविवाह कर लिये जाने से विवादित भूमि में उसका कोई हक व अधिकार नहीं रहा तथा जीवली कचरू की पुत्री नहीं होने से उसका विवादित भूमि में कोई हक व हिस्सा नहीं है। अतः यह अपील स्वीकार की जावे।

5. विद्वान अभिभाषक प्रत्यर्थीगण ने अपनी बहस में तर्क दिया कि विचारण न्यायालय द्वारा विधि अनुरूप कार्यवाही कर निर्णय पारित किया है। बावजूद तामील नोटिस के प्रतिवादी अपीलार्थीगण विचारण न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए जिससे एकतरफा कार्यवाही की गई है। अपीलार्थीगण ने बिमारी का कोई प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया है। न्यायालय ने विधिक प्रक्रियाओं की पालना कर ही एकतरफा कार्यवाही कर निर्णय दिया है जिसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अपीलार्थी प्रतिवादीगण ने प्रथम अपीलीय न्यायालय में कलुडी को नाते चले जाने का उल्लेख करते हुए जीवली को कचरू की पुत्री होने से स्पष्ट इंकार नहीं किया है। जबकि अब इस द्वितीय अपील जीवली को कचरू की पुत्री नहीं होना कथन किया है जो निराधार है। इसके समर्थन में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है। यह विचार बाद में सोचा विचारा हुआ है जो सारहीन है। कलुडी का नाते जाना भी साबित नहीं कराया गया है। परन्तु यदि कलुडी को नाते चले जाना माना जावे तो भी वादी संख्या 1 प्रत्यर्थी संख्या 1 जीवली मृतक सह खातेदार कचरू की पुत्री होकर वारिस है जिससे कचरू का हिस्सा जीवली के नाम दर्ज होगा। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने समवर्ती निर्णय पारित किया है जिसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अतः यह अपील खारिज की जावे।

6. हमने दोनों पक्षो के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

7. विचारण न्यायालय ने प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही करते हुए, प्रतिवादीगण का जबाबदावा नहीं होने से प्रकरण में तनकीयात कायम नहीं की एवं वादीगण को एकतरफा में सुनवाई कर वादीगण को मृतक कचरू का वारिस पुत्री एवं पत्नी होना मानकर विवादित भूमि में वादीगण का 1/4 हिस्सा घोषित किया

है। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने समवर्ती निर्णय पारित करते हुए अपील खारिज की है।

8. पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि विवादित भूमि कुरिया पुत्र अमरिया के खातेदारी की होना प्रदर्श 1 से साबित होती है। यह भी स्पष्ट है कि कुरिया के चार पुत्र कचरू, मनीया, जीवला एवं हैरिया हुए। कचरू का देहान्त कुरिया से पहले हो गया तथा कुरिया के मरने के बाद विवादित भूमि उसके तीन पुत्रो प्रतिवादीगण मनीया, जीवला व हरिया के नाम दर्ज हो गई। यह भी स्पष्ट है कि जीवली कचरू की पुत्री एवं कलुडी मृतक कचरू की बेवा है। इस तथ्य से अपीलार्थीगण ने इन्कार नहीं किया है परन्तु उन्होंने यह कहा है कि कलुडी बाद में नाते चली गई जिससे उसका कोई हक व अधिकार नहीं रहा। इसके साथ ही जीवली को प्रथम अपीलीय न्यायालय में कचरू की पुत्री होने से इन्कार नहीं किया है परन्तु यहां इस द्वितीय अपील में जीवली को कचरू की पुत्री होने से इन्कार किया है। परन्तु इसके समर्थन में कोई ऐसी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है जिससे प्रथमदृष्टया यह साबित होता हो कि जीवली कचरू की पुत्री नहीं है। ऐसी स्थिति में इस द्वितीय अपील में उठाये गये इस बिन्दु का कोई महत्व नहीं रहता है एवं साक्ष्यों के अभाव में यह मानने योग्य भी नहीं है। यह स्पष्ट है कि कचरू की बेवा कलुडी है तथा उनकी पुत्री जीवली है। यदि कलुडी द्वारा नाता कर लिया जाना माना जावे तो भी कचरू की पुत्री जीवली वारिस रहती है जो कचरू का हिस्सा प्राप्त करने की अधिकारीणी हैं। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा वादीगण का विवादित भूमि में 1/4 हिस्सा घोषित करने में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं की गई है।

9. विचारण न्यायालय द्वारा प्रतिवादीगण को विधिवत नोटिस दिये गये हैं तथा उनकी तामील हुई है एवं उनके अधिवक्ता उपस्थित रहे हैं। उनके द्वारा कोई जबाबदावा प्रस्तुत नहीं किया एवं बाद में एकतरफा कार्यवाही हुई है। जिससे यह नहीं माना जा सकता कि उन्हें सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया। हम दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निर्णय में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं पाते हैं एवं यह अपील खारिज करना उचित समझते हैं।

10. अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार यह अपील खारिज की जाती है एवं भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, उदयपुर का निर्णय व डिक्री दिनांक 19.12.2003 यथावत रखा जाता है।

निर्णय लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मनोज कुमार नाग)
सदस्य

(मोडूदान देथा)
सदस्य